


कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:-F-1(3)EE/(SS&C)/Circular/2021/D-38 दिनांक:- 07/12/21

परिपत्र

विषय:- ऋणात्मक मूल्य विचलन की अविलम्ब वसूली के सम्बन्ध में।

राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की दिनांक 15.09.2021 की बैठक के दौरान उपमहालेखाकार द्वारा अवगत कराया गया कि खण्डीय कार्यालयों की लेखा जाँच के समय सामान्यतः पाया गया कि सम्बन्धित कार्यालय द्वारा ऋणात्मक मूल्य विचलन की वसूली समय पर नहीं की जाती है।


अतः उक्त सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि समयावृद्धि प्रकरणों की स्वीकृति पश्चात यदि प्रकरण में ऋणात्मक मूल्य विचलन हो तो उसकी वसूली प्रकरण के स्वीकृत होते ही अविलम्ब सुनिश्चित की जावे।


6/12/2021
(संजीव माथुर)

मुख्य अभियन्ता (पथ) एवं अतिरिक्त सचिव
सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, शासन सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
3. निजि सचिव, मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता(पथ/भवन/पीएमजीएसवाई/एनएच/गुण नियंत्रण), सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता, समस्त संभाग, सा.नि.वि. राजस्थान ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, समस्त सा.नि.वि. राजस्थान।
8. अधिशाषी अभियन्ता, समस्त सा.नि.वि. राजस्थान।


6/12/2021
(संजीव माथुर)

मुख्य अभियन्ता (पथ) एवं अतिरिक्त सचिव
सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।